

बाजदायरी (दावा)

कानाराम ४/५ राज. सरकार

अहकाम जा
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

नही लिया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या उव
4 का जवाब बंड लिया जाता है। पत्रावली
आदेश 22 नियम उ व 22 कल 9 की बहस
वाले दिनांक 6/10/2025 को पेश है।

6/10/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वारिसान उपाक्षिप्त
है। वाले बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम
उ व 22 नियम 9 पत्रावली दिनांक 7/11/2025
को पेश है।

7/11/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वारिसान
उपाक्षिप्त है। वाले बहस प्रार्थना पत्र
आदेश 22 नियम उ व 22 नियम 9
पत्रावली दिनांक 7/11/2025 को पेश है।

21/11/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ~~अ~~ अप्रार्थी मय
अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रार्थी व
प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय में
बार-बार रुक-रुककर आवाज दिलवाई
गई परन्तु न्यायालय समय तक कोई
भी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं
हुआ। अतः प्रार्थी का बाजदायरी
प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम उ के
अंतर्गत अदम दायरी व अदम फैसली
में खारिज किया जाता है। प्रकार
फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो
तथा दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल